प्रेस नोट थाना चौरीचौरा दिनांक 06-08-2019

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद गोरखपुर के आदेशानुसार थाना चौरी चौरा क्षेत्र में घटित लूट की घटना के अनावरण हेतु श्रीमान0 पुलिस अधीक्षक उत्तरी के निर्देश में एवं श्रीमान क्षेत्राधिकारी चौरी चौरा के नेतृत्व में वादी गोपाल यादव पुत्र श्यामसुन्दर यादव निवासी सिंहपुर थाना झंगहा जनपद गोरखपुर मु0अ0सं0 285/19 धारा 392 भादवि के पंजीकृत अभियोग का 12 घण्टे के भीतर सफल अनावरण करते हुए घटना में शामिल अभियुक्त एवं लूटी गयी सम्पत्ती की शत-प्रतिशत (रूपया 2,26000/-) की बरामदगी की गयी घटना के सम्बन्ध में मुनीब द्वारा अपने मालिक को फर्जी सूचना देते हुए पैसो को स्वमं छिपा दिया गया था। टीम द्वारा पूछताछ के दौरान मुनीब पर ही शंका जाहिर की गयी। कड़ाई से पूछताछ के दौरान मुनीब गजेन्द्र पुत्र रामनगीना निवासी मदरापाली बुलाकी थाना रामपुर कारखाना जनपद देवरिया द्वारा बताया गया कि मेरे पिता रामनगीना यहाँ पर काम करते हैं उनके अवकाश पर जाने के कारण मेरे द्वारा नौकरी की जा रही थी पिछले दो दिनों का पैसा ठेके पर ही था मुझे लालच आ गया जिसके कारण मैने यह कहानी बनायी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता –

1. गजेन्द्र पुत्र रामनगीना निवासी मदरापाली बुलाकी थाना रामपुर कारखाना जनपद देवरिया

बरामदगी-

देशी ठेका शराब के दुकान से गायब सम्पूर्ण रकम रूपया 2,26000/- बरामद।

गिरफ्तारी का स्थान व दिनांक –

घटना स्थल देशी शराब के दुकान के समीप भोपा बाजार थाना क्षेत्र चौरी चौरा, गोरखपुर।

गिरफ्तार व बरामदगी करने वाली पुलिस कर्मी –

1. श्री नीरज कुमार राय प्रभारी निरीक्षक चौरी चौरा , गोरखपुर।
2. उ0नि0 आलोक कुमार राय थाना चौरी चौरा जनपद गोरखपुर।
3. हे0का0 हीरा सिंह यादव थाना चौरी चौरा जनपद गोरखपुर।
4. हे0का0 अमित शर्मा थाना चौरी चौरा जनपद गोरखपुर।
5. हे0का0 अवधेश तिवारी थाना चौरी चौरा जनपद गोरखपुर।